प्रेस नोट **दिनांक 25.01.2026**

- चोरी का 48 घण्टे के अन्दर खुलासा-

हास्पिटल में टेक्निशियन को बंधक बनाकर चोरी की गई 04 डायलसिस मशीन (अनुमानित कीमत करीब 26 लाख रूपये) व 4000 रू0 नगद तथा घटना में प्रयुक्त वाहन बरामदगी के साथ दो अन्तर्रजनपदीय शातिर चोर गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार के पर्वेक्षण में व क्षेत्राधिकारी नगर श्री कृष राजपूत के नेतृत्व में आज दिनांक 25.01.2026 को उ0नि0 विनोद कुमार सिंह मय हमराही कर्म0गण क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबिर खास ने आकर सूचना दिया कि दिनांक 23.01.2026 की रात्रि में **आजमी हास्पिटल हकीकतपुरा मऊ** से चोरी की गयी 04 डायलसिस मशीनो को जिन लोगो ने चुराया है, वही लोग बेचने के लिए मु0बाद गोहना की तरफ से आ रहे है तथा मतलूपुर होकर गाजीपुर की तरफ जायेंगे। अगर जल्दी किया जाय तो पकड़े जा सकते है, मुखबिर खास की इस सूचना पर विश्वास कर मौजूद पुलिस बल को अलग अलग टीम में बांटकर मतलूपुर फ्लाई ओवर से गाजीपुर की तरफ जाने वाली सर्विस रोड पर घेराबन्दी करके आने वाले वाहन का इन्तजार करने लगे कि कुछ ही देर में एक पिकप वाहन मु0बाद गोहना की तरफ से आकर गाजीपुर की तरफ सर्विस रोड पर चढा कि सर्विस रोड के आखिरी छोर पर पहूचने से कुछ दूर पहले ही पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया कि पिकप चला रहे व्यक्ति द्वारा सामने पुलिस बल को देखकर पिकप को पीछे मोड़कर भागना चाहा की जगह कम होने के कारण फस गया कि सभी पुलिस टीम द्वारा एकबारगी घेरघार कर पिकप को रोक लिया गया तथा पिकप मै बैठे व्यक्तियों से नाम पता पूछते हुए भागने का कारण पूछा गया तो एक ने अपना नाम, 1. अमरनाथ दीक्षित पुत्र सरजू प्रसाद दीक्षित निवासी 4/525 विभव खण्ड थाना गोमतीनगर कमिश्नरेट लखनऊ स्थायी पता ग्राम गाड़ी बाजार थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा बताया तथा, 2. राजकुमार पुत्र बिहारी निवासी कठौता वास्तु खण्ड थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ तथा कड़ाई से पूछने पर बताया कि वह लखनऊ में कई अस्पतालो का मैनेजमेंट देखता है तथा लोन भी लिया था और काफी आर्थिक तंगी से जूझ रहा था तथा उसको पैसे की सख्त जरूरत थी, उसको एक टेक्निशियन जिसका नाम विशेष यादव उसने बताया की मऊ में आजमी हास्पिटल में डायलसिस मशीने रखी गयी है, उसको चुराकर बेचा जा सकता है, उसके बाद मैने तथा मेरे साथियो सुमित गौतम, विशेष यादव,अंश, पंडित, बबुआ व अन्य के साथ योजना बनाकर दिनांक 23.01.2026 को इसी पिकप वाहन न0 UP32KN2133 से आजमी हास्पिटल मऊ से 04 डायलसिस मशीन वहां पर काम कर रहे टेक्निशियन को बंधक बनाकर चुरा लिया गया था तथा डायलसिस मशीनो को लेकर लखनऊ चले गये, फिर मै लखनऊ में पकड़े जाने के डर से उन्ही डायलसिस मशीनो को पूर्वांचल में ही बेचने के लिए लखनऊ से लेकर गाजीपुर की तरफ जा रहे थे। आप लोगो ने पकड़ लिया। **आजमी हास्पिटल हकीकतपुरा मऊ में चोरी** की गयी मशीनो के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0011/2026 धारा 331(4)/305(A)/125(A) बी0एन0एस0 बनाम कुछ बदमाश के पंजीकृत है, जिसमें बरामदगी व गिरफ्तारी तथा घटना में संलिप्त बदमाशो की संख्या के आधार पर अभियोग में धारा परिवर्तित कर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल लायी जा रही है।

घटना के अनवारण में कई सीसीटीवी फुटेज देखा गया जिसके आधार पर घटना अनावरण किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम रवाना है, शीघ्र अति शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जायेगी। **उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम को श्रीमान पुलिस अधीक्षक मऊ महोदय द्वारा 15000 रू0 नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है।**

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. अमरनाथ दीक्षित पुत्र सरजू प्रसाद दीक्षित निवासी 4/525 विभव खण्ड थाना गोमतीनगर कमिश्नरेट लखनऊ स्थायी पता ग्राम गाड़ी बाजार थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा
2. राजकुमार पुत्र बिहारी निवासी कठौता वास्तु खण्ड थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ

वांछित अभियुक्तगण का विवरण-

1. सुमित गौतम पुत्र रामदीन गौतम निवासी मन्दापुर थाना अतरौली जनपद हरदोई
2. विशेष यादव
3. अंश
4. पंडित
5. बबुआ

बरामदगी-

1. 04 डायलसिस मशीन (वर्तमान अनुमानित कीमत करीब 30 लाख रूपये)
2. घटना में प्रयुक्त एक अदद पिकप वाहन न0 UP32KN2133
3. नगद 4000 रू0
4. दो अदद मोबाइल

पंजीकृत अभियोग -

1. मु0अ0सं0 0011/2026 धारा 310(2)/317(3)/61(2) बी0एन0एस0 थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 विनोद कुमार सिंह थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
2. उ0नि0 हरिकेश यादव थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
3. उ0नि0 अरूण कुमार सिंह थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
4. उ0नि0 शहजाद जमां खां थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
5. हे0का0 सुरजीत कुमार थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
6. हे0का0 विनोद कुमार यादव थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
7. का0 अवधेश कुमार थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
8. का0 अमरनाथ मौर्य थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

गोकशी से संबंधित 02 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार के पर्वेक्षण में व क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय के नेतृत्व में दिनांक 25.01.2026 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र भ्रमणशील थे कि तभी मुखबिर खास ने आकर बताया कि साहब आज जो लोग गाय की बछिया को काटे थे उससे सम्बन्धित दो अभियुक्तगण यास और जुल्फेकार जिनको सुबह घटना के बाद पब्लिक पकड़ी थी जो छुड़ाकर भाग गये थें जो धौरहरा घाट पुल के पास खड़े है और कहीं भागने के फिराक में है। यदि जल्दी किया जाय तो पकड़े जा सकते हैं। मुखबिर खास की इस सूचना पर विश्वास कर मै उ0नि0 मय हमरहियान मुखबिर खास को लेकर उसके द्वारा बताये गये स्थान के लिए हम पुलिस वाले अपनी अपनी मोटर साइकिल से रवाना हुए और धौरहरा घाट पुल से पहले ही अपनी अपनी मोटर साइकिल खड़ी किये कि कुछ दूरी पर दो व्यक्ति खड़े आपस में बाते करते हुए दिखाई दिये जिनकी तरफ मुखबिर खास द्वारा इशारा करके बताया गया कि साहब ये वही दोनो व्यक्ति हैं, हट बढ़ गया कि हम पुलिस वाले छुपते छुपाते हुए दोनो व्यक्तियो के पास पहुंचकर एक बारगी दबिश देकर दोनो व्यक्तियो को मौके पर ही पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों का नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी लीं गयी तो एक ने अपना नाम यास उर्फ मुहम्मद माद पुत्र असहद निवासी खैराबाद थाना मु0बाद गोहना जनपद मऊ उम्र 35 वर्ष बताया तथा दूसरे ने अपना नाम जुल्फेकार अहमद पुत्र मुहम्मद शाबिर निवासी खैराबाद थाना मु0बाद गोहना जनपद मऊ उम्र 45 वर्ष बताया। अभियुक्त यास उर्फ मुहम्मद माद पुत्र असहद निवासी खैराबाद थाना मु0बाद गोहना जनपद मऊ उपरोक्त को धारा 303(2) BNS व 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट व अभियुक्त जुल्फेकार अहमद पुत्र मुहम्मद शाबिर निवासी खैराबाद थाना मु0बाद गोहना जपनद मऊ को धारा 303(2) BNS व 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम का अपराध बताकर समय करीब 21.20 बजे गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण

अभियुक्त गण शहाबुद्दीनपुत्र जमालुद्दीम, यास पुत्र अरशद , जुल्फेकार पुत्र शाबिर , जावेद पुत्र नेसार निवासी गढ़ खैराबाद मिलकर एक बछीया को काट रहे थे जिसके सम्बन्ध में में लालमती पत्नी स्व0 रामजीत गौड़ के द्वारा थाना हाजा पर मु0अ0सं0 0020/2026 धारा 303(2) BNS व 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम पंजीकृत कराया गया था जिसमें से दो अभियुक्त यास उर्फ मुहम्मद माद पुत्र

असहद व जुल्फेकार अहमद पुत्र मुहम्मद शाबिर थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया।

बरामदगी –

1. मुहम्मद यास उर्फ मुहम्मद माद के द्वारा बाताये जाने पर एक अदद आला कत्ल चाकू बरामद

गिरफ्तारी-

1. यास उर्फ मुहम्मद माद पुत्र असहद निवासी खैराबाद थाना मुबाद गोहना जनपद मऊ उम्र 35 0 वर्ष
2. जुल्फेकार अहमद पुत्र मुहम्मद शाबिर निवासी खैराबाद थाना मुबाद गोहना जनपद मऊ उम्र 0 वर्ष 45

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम

1. उ0नि0 अरविन्द कुमार यादव थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ।
2. हे0का0 जितेन्द्र थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ।
3. हे0क0 संदीप सोनकर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ।

महिला एच्छिक ब्यूरो के प्रयास से 02 दंपती साथ साथ रहने को हुए राजी, 41 मामलों में से 11 मामलों का हुआ निस्तारण-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में आज दिनांक 25.01.2026 को महिला एच्छिक ब्यूरो की बैठक पुलिस कार्यालय में सम्पन्न हुयी। इस दौरान एच्छिक ब्यूरो के सदस्यो के समक्ष कुल 41 मामले आये जिसमें एच्छिक ब्यूरो के सदस्यो के प्रयास से 11 मामलों का निस्तारण हुआ तथा 02 दंपति मुन्नी/सुबेदार, शबाना/नेहालुद्दीन हैं। हैं। आपसी मतभेद भुलाकर एक दुसरे के साथ रहने को राजी हुए। 07 फाईलें पक्षकारों की उदासीनता से बन्द की गयी तथा 02 मामले में एफआईआर हुआ। अन्य मामलों के निस्तारण हेतु ब्यूरो की बैठक की अगली तारीख 08.02.2026 दी गयी है। एच्छिक ब्यूरो की बैठक में अर्चना उपाध्याय,शाहिद पैरिस,मौलवी अरशद रहे तथा सहयोगार्थ मन्जू सिंह इन्स्पेक्टर,एस आई समरजीत यादव,पूनम पाल,राजलक्ष्मी त्रिपाठी उपस्थित रही।

गुण्डा एक्ट में एक अभियुक्त को किया गया जिलाबदर -

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय मऊ द्वारा अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में तथा श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय मऊ एवं क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के कुशल निर्देशन मे व श्री संजय सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना सरायलखंसी जनपद मऊ के नेतृत्व में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जनपद मऊ के कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या D202515510000432 सरकार बनाम प्रिन्स यादव उर्फ मक्कू यादव अन्तर्गत धारा 3(1) उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधि0 1970 के अनुपालन में अभियुक्त प्रिन्स यादव उर्फ मक्कू यादव पुत्र शेषनाथ यादव उर्फ तुलसी यादव निवासी ताजोपुर बड़िहार थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ को नियमानुसार डुगडुगी बजवाकर जिला बदर नोटिस का तामीला कराकर दिनांक 25.01.2026 से 03 माह की अवधि के लिये जनपद की सीमा से निष्कासित किया गया तथा अभियुक्त को हिदायत किया गया कि उक्त अवधि में जनपद की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे, पकड़े जाने पर नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की अमल में लायी जाएगी।

नाम पता अभियुक्त

1. प्रिन्स यादव उर्फ मक्कू यादव पुत्र शेषनाथ यादव उर्फ तुलसी यादव निवासी ताजोपुर बड़िहार थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ उम्र 24 वर्ष

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास का विवरण

1. मु0अ0सं0 435/23 धारा 411/413/414 भादवि0 थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ
2. मु0अ0सं0 438/23 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ
3. मु0अ0सं0 46/24 धारा 323/504/506 भादवि0 थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ

तामीलकर्ता टीम-

1- प्र0नि0 श्री संजय सिंह
2- उ0नि0 श्री शिवपति दुबे
3- का0 जंग बहादुर वर्मा
4- का0 रोहित सिंह
4- का0 पंकज कुमार

चाइल्ड पोर्नोग्राफी से सम्बंधित अश्लील सामग्री भण्डारण करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ, श्री इलामारन जी के द्वारा "महिला एवं बाल अपराध नियंत्रण" अभियान चलाकर अपराधियों की गिरफ्तारी करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री कृष राजपूत के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ व कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा NCRB (National Crime Records Bureau) और NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) के माध्यम से एक 'साइबर टिपलाइन' से प्राप्त सूचना जिसमें एक विशिष्ट IP एड्रेस/ मोबाइल में बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री (Child Sexual Abuse Material) मोबाइल से फोटो खींचकर गूगल ड्राइव/जीमेल एकाउंट पर अपलोड की जा रही है प्राप्त सूचना पर थाना साइबर सेल से तकनीकी विश्लेषण (Technical Analysis) किया गया। तथा उक्त के सम्बंध में मु0अ0सं0 33/2026 धारा 67B आई.टी एक्ट व 14/15 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त अमन मौर्या पुत्र विजय प्रकाश मौर्या निवासी मकान नं0 12 बल्लीपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ उम्र करीब 22 वर्ष को दिनांक 25.01.2026 को समय करीब 14.30 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तगण को नियमानुसार गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

अमन मौर्या पुत्र विजय प्रकाश मौर्या नि0 मकान नं0 12 बल्लीपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ उम्र 22 वर्ष

आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं0 33/2026 धारा 67B आई.टी एक्ट व 14/15 पॉक्सो एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

गिरफ्तारी टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
2. निरीक्षक अपराध फूलचन्द्र यादव थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
3. हे0का0 मनमोहन यादव थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
4. का0 रामकिशोर थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ